

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1122/2014.....जिला.....जयपुर.....
 उनवान-मैसर्स पेप्सीको इण्डिया होल्डिंग प्रा.लि., एफ.549, रोड नं.-6, जयपुर बनाम् सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.07.2014	<p align="center">खण्डपीठ श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष श्री मदन लाल, सदस्य</p> <p>अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उक्त अपील अपीलीय प्राधिकारी-द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.05.2014, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किया गया है, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है तथा जिसमें सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त, राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 24 के तहत निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 24.02.2014 के जरिये कायम की गयी मांग राशि के संबंध में प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने को विवादित कर, सुनवायी के दौरान ₹6,66,45,524/- की वसूली पर रोक लगाई जाने की प्रार्थना की गई।</p> <p>अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अभिभाषक श्री अरविन्द खण्डेलवाल एवं विभाग की ओर से उप-राजकीय अधिवक्ता श्री रामकरण सिंह बहस हेतु दिनांक 14.07.2014 को उपस्थित हुये।</p> <p>अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करने के संबंध में किसी भी प्रकार के कारणों का उल्लेख नहीं किया है जो अस्पष्ट आदेश (Non-speaking order) की श्रेणी में आता है। गुणावगुण पर कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा विक्रय उत्पाद "पोटेटे चिप्स" को निर्धारण अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती निर्धारण वर्षों में "नमकीन" होना तो अवधारित किया गया, परन्तु उक्त को अधिनियम के तहत जारी अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या-131 से आच्छादित होना केवल इसलिये नहीं माना गया कि अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत उत्पाद "ब्राण्डेड वस्तु" है, जबकि प्रविष्टि संख्या-131 में "अनब्राण्डेड वस्तुओं" (नमकीन) को ही 4 प्रतिशत से कर योग्य होना राज्य सरकार द्वारा घोषित किया गया है। अग्रिम अभिवाक् किया कि राज्य सरकार द्वारा जरिये अधिसूचना कमांक एफ. 12(84)एफ.डी/टैक्स/2009-42 दिनांक 30.07.2009 के "ब्राण्डेड व अनब्राण्डेड नमकीन" को दिनांक 28.07.2009 से 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य होना अधिसूचित किया गया है। अतः उक्त जारी अधिसूचना के आलोक में, निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत "पोटेटो चिप्स" को अधिनियम के तहत जारी अनुसूची- की प्रविष्टि संख्या-131 की श्रेणी में नहीं होना अवधारित कर, अधिनियम की अनुसूची- के तहत 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य होना अवधारित कर, अंतर कर व अनुवर्ती ब्याज की मांग राशि कायम की गयी है जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 2009 (242) ई.एल.टी. 3 कमिश्नर ऑफ सेन्ट्रल एक्साईज, पुना-III बनाम् फीटो ले इण्डिया निर्णय दिनांक 12.08.2009 को प्रोद्धरित कर कथन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांत में "चीटोस" को नमकीन होना अवधारित किया गया है।</p>	

16.07.2014

विशिष्ट रूप से विद्वान अभिभाषक द्वारा महाराष्ट्र वैट अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना क्रमांक वैट 1505/सीआरई-165/टैक्सेशन-1 दिनांक 01.06.2005 को प्रोद्धारित कर, कथन किया कि उक्त अधिसूचना के जरिये महाराष्ट्र राज्य में "फरसन" (नमकीन) के तहत "पोटेटो चिप्स" को भी नमकीन होना माना गया है। विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया कि दोनों अवर अधिकारियों द्वारा विधायिका में इन्द्राज प्रविष्टि का अन्यथा निर्वचन कर, अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत उत्पाद को अनुसूची-V से आच्छादित होना अवधारित कर, 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य होना अवधारित किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा इस संबंध में (1989) 072 एस.टी.सी. 280, (1961) एस.सी. 1325, (1981) ई.एल.टी. 325, (1979) एस.सी. 300 व (1967) एस.सी. 1454, को प्रोद्धारित करते हुए कथन किया गया कि कराधान (taxation) के मामलों में common parlance का सिद्धान्त लागू होता है। अतः अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत उत्पादों को इसमें संव्यवहार करने वालों की प्रचलित वाणिज्यिक सोच, प्रयोजन एवं उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए इनके वर्गीकरण एवं कर देयता का विनिश्चयन किया जाना चाहिये। विशिष्ट रूप से अपीलार्थी के ही प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों यथा:- 2003 (151) ई.एल.टी. 180, 2009 (242) ई.एल.टी. 3, 2007 (207) ई.एल.टी. 560 को प्रोद्धारित कर, निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत "पोटेटो चिप्स" को अनुसूची-V से आच्छादित होना अवधारित कर, कायम अंतर कर व अनुवर्ती ब्याज को अविधिक होने का कथन कर, प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रकट कर, बकाया राशि ₹6,66,45,524/- पर रोक लगाने का निवेदन किया गया अन्यथा अपीलार्थी को अपूरणीय क्षति होने का तर्क दिया गया।

प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.12(28)एफ.डी/टैक्स/2007/154 दिनांक 09.03.2007 व अधिसूचना क्रमांक एफ.12(84)एफ.डी/टैक्स/2009-42 दिनांक 30.07.2009 की ओर ध्यानाकर्षित कर कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा जरिये अधिसूचना दिनांक 09.03.2007 के अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या-131 में संशोधन कर, ".....branded bhujiya made of pulses and unbranded namkeens (including dried potato chips)" को 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य होना अधिसूचित किया गया जिसे राज्य सरकार द्वारा पुनः जरिये अधिसूचना क्रमांक एफ. 12(84)एफ.डी/टैक्स/2009-42 दिनांक 30.07.2009 के ".....bhujiya, branded and unbranded namkeens" को 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य होना अधिसूचित किया गया। उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा विशिष्ट रूप से अधिसूचना दिनांक 09.03.2007 में "including dried potato chips" व अधिसूचना दिनांक 30.07.2009 में उक्त के राज्य सरकार द्वारा अपलेखित किये जाने की ओर ध्यानकर्षित कर कथन किया कि उक्त दोनों अधिसूचनाओं से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार "नमकीन व पोटेटो चिप्स" को अलग-अलग उत्पाद होना अवधारित करती है जिसमें स्पष्ट रूप से अधिसूचना दिनांक 30.07.2009 के जरिये पोटेटो चिप्स को 4 प्रतिशत की दर से कर दायित्व न होकर अनुसूची-V के तहत 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। अपने उक्त तर्कों के आधार पर प्रकरण व सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होने का कथन कर, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।


उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवम् दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन एवम् राज्य सरकार द्वारा अनुसूची- की प्रविष्टि संख्या-131 के संबंध में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.12(28)एफ.डी/टैक्स/2007/154 दिनांक 09.03.2007 व अधिसूचना क्रमांक एफ.12(84)एफ.डी/टैक्स/2009-42 दिनांक 30.07.2009 का अध्ययन किया गया। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राज्य

16.07.2014


सरकार द्वारा जरिये अधिसूचना दिनांक 09.03.2007 के अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या-131 में संशोधन कर, ".....branded bhujiya made of pulses and **unbranded namkeens (including dried potato chips)**" को 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य होना अधिसूचित किया गया जिसे राज्य सरकार द्वारा पुनः जरिये अधिसूचना क्रमांक एफ.12(84)एफ.डी/टैक्स/2009-42 दिनांक 30.07.2009 के "..... .bhujiya, branded and unbranded namkeens" को 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य होना अधिसूचित किया गया । इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि विशिष्ट रूप से अधिसूचना दिनांक 09.03.2007 में ".....and unbranded namkeens (including dried potato chips)" अंकित है जिसके अनुसार अनब्राण्डेड "पोटेटो चिप्स" को 4 प्रतिशत की दर से राज्य सरकार द्वारा उक्त को अधिसूचित किया गया है । जबकि राज्य सरकार द्वारा जरिये अधिसूचना दिनांक 30.07.2009 के प्रविष्टि संख्या-131 में संशोधन कर, (including dried potato chips) को हटा दिया गया है जिससे यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार "नमकीन व पोटेटो चिप्स" को चाहे वे ब्राण्डेड हो यह अनब्राण्डेड अलग-अलग उत्पाद होना अवधारित करती है । इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि अधिसूचना दिनांक 30.07.2009 के जरिये "पोटेटो चिप्स" के विक्रय पर 4 प्रतिशत की दर से कर दायित्व नहीं होकर अनुसूची-V के तहत 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। अतः उक्त विधिक स्थिति के आलोक में, यह पीठ अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र अस्वीकार करती है । इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति की तिथि से आगामी दो माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें ।

अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है।

आदेश सुनाया गया।


16.7.2014
(मदन लाल)

सदस्य


(राकेश श्रीवास्तव)
अध्यक्ष